I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0036 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/09/2022 23:33 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Friday **Date from (दिनांक से):** 16/09/2022 **Date To (दिनांक तक):** 16/09/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 20:30 hrs **Time To (समय तक):** 22:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/09/2022 **Time (समय):** 22:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 027 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/09/2022 23:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PWP OFFICE NUH,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Jaipal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 20/04/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	fbd, FARIDABAD OLD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	fbd, FARIDABAD OLD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9818514166

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अरशद कनिष्ट अभियन्ता			1. PWD B AND R NUH,NUH,HARYANA,INDIA
2	राजूद्दीन SAC			1. PWD B AND R NUH,NUH,HARYANA,INDIA
3	साजिद SDC			1. PWD B AND R NUH,NUH,HARYANA,INDIA
4	वसीम कनिष्ट अभियन्ता			1. PWD B AND R NUH,NUH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम। विषयः- प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमान जी, निवेदन है कि श्रीमान महानिदेशक राज्य चैकसी ब्युरो (ह) पंचकुला के पत्र क्रमांक 14078 दिनांक 31.08.2022 के अनुसार एक शिकायत नम्बर 425/GGM/2022 शिकायत कर्ता महेन्द्र S/O राजकुमार गली न0 3, वार्ड न0 7, रेवाडी बर खिलाफ शमशेर सिह कार्यकारी अभियन्ता और अरशद कनिष्ट अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग भवन एवं सडक नूंह द्वारा टोल प्लाजा TP-39 पर फर्जी रसीदे काट कर करोडो रूपयो का गबन करने बारे प्राप्त हुई।

जिस सम्बंध में मन निरीक्षक द्वारा टोल प्वाईन्ट सौन्ध, टोल प्वाईन्ट छारौडा व गांव पथरेडी पर औचक निरीक्षण चैकिंग करने के लिए टीम गठित की गई पथरेडी टोल प्वांईट के लिए उप0नि0 जयचन्द न0 339/रेवाडी को मय टीम नियुक्त किया गया। उप0नि0 प्रकाश चन्द को गांव छारौडा टोल प्वाईन्ट के लिए मय टीम नियुक्त किया गया और मन निरीक्षक द्वारा गांव सौन्द टोल प्वाईन्ट मय टीम एक साथ तीनो टीमो द्वारा तीनो टोल प्वाईन्ट पर औचक निरीक्षण चैकिंग किया गया।

उप नि0 जयचन्द द्वारा गांव पथरेडी टोल प्वाईन्ट की रिपोर्ट मन निरीक्षक को पेश की जो रिपोर्ट वा प्राप्त शुदा रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि छोटे वाणिज्य वाहन का टोल 20/रूपये, 4 टायर वाले वाहन का 50 रूपये टोल, 6 से 10 टायर वाले वाहन का टोल 200 रूपये व 10 टायर से उपर वाले वाहन का 300 रूपये नियमानुसार निर्धारित किया जाना पाया गया और रसीदे भी राशि अनुसार छप्पी हुई होनी पाई गई। नियमनुसार सभी टोल रसीद बुक लोक निमार्ण विभाग भवन एवं सडक मुख्यालय पंचकुला से छपाई होकर कार्यकारी अभियन्ता नूह द्वारा इन्चार्ज टोल प्वाईट कनिष्ट अभियंताओ को जारी की जाती है । परन्तु इन टोल पर कुल फर्जी रसीद बुक छपाई जानी पाई गई है । अरशद कनिष्ट अभियंता अपनी तैनाती दिनांक 21.05.2022 से 30.06.2022 तक सौन्द टोल प्लाजा व 1.07.2022 से लगातार पथरेडी टोल प्लाजा की रसीद बुक जो प्रतिदिन वाहनो को देकर कैश प्राप्त किया गया था । पुछताछ पर उन रसीदो को अपने सरकारी आवास से लाकर पेश किया जिनके अवलोकन से पाया गया कि 10 टायर से उपर वाले वाहनो की 300 रूपये वाली रसीद बुको में रसीद बुक न0 1284461, से 128467, रसीद बुक 128469 से 128474, 128476, रसीद बुक 128478 से 128480 तक रसीद बुक डबल पाई गई जिनमे 1 रसीद बुक असल है वा 1 रसीद बुक फर्जी छपी हुई है। 6 से 10 टायर वाले वाहनो की 200 रूपये वाली रसीद बुको के अवलोकन से पाया गया है कि रसीद बुक न0 136021 से 136038, रसीद बुक न0 136040 व 137300 की सभी रसीद बुके तीन-तीन छपी पाई गई रसीद बुक न0 136761 ये 136780 व रसीद बुक न0 137281 से 137299 तक डबल रसीद बुक छपी हुई पाई गई जिसमें एक असल रसीद बुक है वा एक रसीद बुक नकली छपी हुई है। प्रथम दष्टया उपरोक्त फर्जी रसीदो से लगभग 18,00000 रूपये का गबन होना पाया गया है।

अरशद कनिष्ट अभियन्ता के साथ सौन्द टोल प्वाईन्ट पर पर्ची काटने के लिए SAC, विक्रम लिपिक, वेद प्रकाश लिपिक पालक लिपिक, प्रशांत लिपिक की डयूटी बताई व पथरेडी टोल प्वाईन्ट पर साजिद SDC, वसीम कनिष्ट अभियन्ता व बिलाल कनिष्ट अभियन्ता की डयूटी रसीद काटने की व अलग-2 समय पर अलग-2 सिफ्ट में कार्यकारी अभियन्ता शमशेर द्वारा लगाई जानी पाई गई इन सभी को उपरोक्त सभी फर्जी रसीद बुको के बारे में जानकारी थी। अरशद कनिष्ट अभियन्ता ने अपने कथन में माना है कि प्रतिदिन 20/30 हजार रूपये की फर्जी रसीदे काटते थे और उनको बराबर-2 हिस्से करके रसीद काटने वाले कर्मचारी हम सब आपस मे बाट लेते है और असल रसीद बुको की राशी जमा करा देते थे। इसी प्रकार से बाकी दोनो टोल पर यही गडबडी चल रही है।

उप0नि0 प्रकाश चन्द की रिपोर्ट के अवलोकन करने से छारौडा टोल प्वाईन्ट पर अभी तक की गई जांच से रसीद बुको से कोई भी रसीद बुक फर्जी नही पाई गई रसीद बुको वा विभाग में जमा कराया जाने वाले कैश का मिलान करना बकाया है।

मन निरीक्षक द्वारा टोल प्वाईन्ट सौन्ध से प्राप्त किये गये रिकार्ड के अभी तक के अवलोकन से पाया गया है कि कोई भी रसीद बुक फर्जी होनी नही पाई गई रसीद बुको से प्राप्त की गई राशि विभाग में जमा कराई गई है उसका मिलान नही किया गया मिलान करना बकाया है।

इस प्रकार लोक निमार्ण विभाग नूह के अरशद कनिष्ट अभियन्ता, राजूद्वीन SAC, साजिद SDC, वसीम कनिष्ट अभियन्ता व अन्य कर्मचारियो ने आपस मे मिलीभगत करके अपने-2 पद का दुरूप्योग करके फर्जी रसीद बुके तैयार करवाकर वाहन चालको को असली की जगह फर्जी रसीद देते है । लगभग 18,00,000 रूपये की राशि का गबन करके आपस में बाट कर सरकार को वितीय हानि पहुचाई इन द्वारा धारा 409,420,467,468,471,120बी भा.द.स. व 13(1)ए, 13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध करना पाया गया है। आरोपीयो का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है। जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII Dated 26.7.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है। उपरोक्त आरोपियो के विरूद्व धारा 409,420,467,468,171,120बी भा.द.स., 13(1)ए व 13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अकिंत करने के लिए तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतू भेजी गई थी । श्रीमान पुलिस महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला हरियाणा से तहरीर अनुमोदन उपरान्त प्राप्त हुई है । जिसमे अभियोग दर्ज करने बारे निर्देश दिये गये है । मन निरीक्षक कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उप-केन्द्र से हाजिर हूँ । आरोपियान अरशद कनिष्ट अभियन्ता, राजूद्दीन SAC, साजिद SDC, वसीम कनिष्ट अभियन्ता व अन्य कर्मचारियो लोक निमार्ण विभाग (भवन व सडक) नूहँ के खिलाफ अपराध धारा 409,420,467,468,171,120बी भा.द.स., 13(1)ए व 13(1)बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध के अन्तगर्त अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर ई.एच.सी. खुशीराम न0 914/सिरसा के हाथ थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम मे भेजी जा रही है । अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से सुचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट सिपाही के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियो को भिजवाई जावे । अज :- उप-केन्द्र नूहं,राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । SD निरीक्षक जयपाल उप-केन्द्र नूहँ राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम दिनांक 16.09.2022 समय 8.30 पी. एम. अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नुहं बदस्त EHC खुशीराम न0 914/सिरसा के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 जयपाल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC खुशीराम न0 914/सिरसा के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Jaipal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 94 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1986				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)